

सरकार की नजर वक्फ की संपत्ति पर: हुसैन

नई दिल्ली, बार्ता



■ बीजेपी
देश में कर
रही ध्वनी
करण की
राजनीति

राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्रापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक हुई। कांग्रेस के सेवद नासिर हूसैन ने केंद्र सत्रालूप भारतीय जनता पार्टी पर रसा में ध्वनीकरण की जगती, तिक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार यह विधेयक सिफर वक्फ की संपत्ति को हटाएं के लिए लेकर आई है, जबकि भाजपा के राज्याभान दास अग्रवाल ने कहा कि इसका उद्देश वक्फ द्वारा किसी की संपत्ति पर धरा जाना और सरकार की संपत्ति को गरीब बनाने के उत्तरान के लिए उपयोग करता है।

हुसैन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और सुसलान वक्फ (निरसन) विधेयक 2025 पर चर्चा की खुरुआत करते हुए कहा कि 1995 में और वर्ष 2013 में जब इससे जुड़े विवरण लाए गए थे, तब भाजपा ने साथमें किया था। उहाँने सत्रालूप किया कि भाजपा ने इसका क्यों समर्थन किया था और इसके सर्वसमर्थन से पारित

की जा सके। उहाँने इस विधेयक को सुस्थित समाधार को बदलना करने वाला बताते हुए कहा कि वक्फ कानून को लेकर ग्राम प्रवासी किया जा रहा है। उहाँने कहा कि सुधार का संसदीय समिति की रिपोर्ट को सदन में रखा जाना चाहिए कितने लोग विधेयमें थे और वित्त लोग विधेयमें थे यह पर चल सके। समिति की सिफारिशों में विधेयमें अनुच्छेदों पर चर्चा होती की थी। समिति ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इससे जुड़ी एक समिति की रिपोर्ट को उल्लेख करते हुए उसको लागू करने के बात कही थी। वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने उस समिति और सचिव कार्यालय के लिए लालूकर संसाधन किया था और उसके लिए लालूकर संसाधन किया था और उसके लिए लालूकर संसाधन किया था और उसके लिए लालूकर संसाधन किया था। उहाँने कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र में होनी वाली सरकार को यह समझ नहीं आया। कहा कि वक्फ कानून तुष्टीकरण वाला कानून है। वर्ष 2024 में जब भाजपा लालूकर संसाधन में 400 सौ टंडे नहीं पायी और उसके 240 सौ टंडे मिलने की बात चाहिए। लेकिन उससे पर्याप्त नहीं होती है। उहाँने कहा कि दान तो इस संसाधन को लेकर आग लाक ध्वनी केरण किया जा सके और धर्म की राजनीति

